बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

पत्रांक–प्र0 / BSPTCL–07 / 2017 पटना, दिनांक–

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

विषयः– बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं0 लि0 के संचरण प्रणाली को वर्ष 2021–22 के अन्त तक बिहार के कुल विद्युत मॉंग को पूरा करने हेतु संचरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु 1097.21 करोड़ (एक हजार सन्तानवे करोड़ इक्कीस लाख) रूपये का 20% अर्थात 219.44 करोड़ (दो सौ उन्नीस करोड़ चौवालीस लाख) रूपये पूँजीगत निवेश के रूप में इक्विटी स्वरूप तथा शेष 80% अर्थात् 877.77 करोड़ (आठ सौ सत्तहतर करोड़ सत्तहतर लाख) रूपये राज्य सरकार की गारण्टी पर विभिन्न वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु पूर्व में उपलब्ध कराये गये राशि के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2019–20 में 16.00 करोड़ (सोलह करोड़) रूपये पूँजीगत निवेश के रूप में राज्य योजना से बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं0 लि0 को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेश–स्वीकृत।

विभागीय राज्यादेश संख्या–3489 दिनांक–20.11.2017 के द्वारा बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 के संचरण प्रणाली को वर्ष 2021–22 के अन्त तक बिहार के कुल विद्युत मॉंग को पूरा करने हेतु संचरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु 1097.21 करोड़(एक हजार सन्तानवे करोड़ इक्कीस लाख) रूपये की नयी योजना की स्वीकृति एवं कुल स्वीकृत राशि का 20% की अर्थात 219.44 करोड़ (दो सौ उन्नीस करोड़ चौवालीस लाख) रूपये पूँजीगत निवेश के रूप में इक्विटी स्वरूप तथा शेष 80% अर्थात् 877.77 करोड़ (आठ सौ सत्तहतर करोड़ सत्तहतर लाख) रूपये राज्य सरकार की गारण्टी पर विभिन्न वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने की स्वीकृति एवं योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2017–18 में तत्काल 20.00 करोड़ (बीस करोड़) रूपये बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान किया गया। इस योजना के कार्यान्वयन हेतु विभागीय राज्यादेश संख्या–3489 दिनांक–20.11.2017 के द्वारा 20.00 करोड़ रूपये एवं विभागीय राज्यादेश संख्या–514 दिनांक–21.02.2019 के द्वारा 20.00 करोड रूपये अर्थात कुल 40.00 करोड़ रूपये बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं0 लि0 को उपलब्ध कराया गया है। पूर्व में उपलब्ध करायी गई राशि 40.00 करोड़ (चालीस करोड़) रूपये के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2019–20 में 16.00 करोड़ (सोलह करोड़) रूपये बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं0 लि0 के द्वारा मांग की गयी है, जिसे उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है।

2. उक्त आलोक में बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं0 लि0 के संचरण प्रणाली को वर्ष 2021–22 के अन्त तक बिहार के कुल विद्युत मॉंग को पूरा करने हेतु संचरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु 1097.21 करोड़ (एक हजार सन्तानवे करोड़ इक्कीस लाख) रूपये का 20% अर्थात 219.44 करोड़ (दो सौ उन्नीस करोड़ चौवालीस लाख) रूपये पूँजीगत निवेश के रूप में इक्विटी स्वरूप तथा शेष 80% अर्थात् 877.77 करोड़ (आठ सौ सत्तहतर करोड़ सत्तहतर लाख) रूपये राज्य सरकार की गारण्टी पर विभिन्न वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु पूर्व में उपलब्ध कराये गये राशि के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2019–20 में 16.00 करोड़ (सोलह करोड़) रूपये पूँजीगत निवेश के रूप में राज्य योजना से बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं0 लि0 को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त राशि मॉंग सं0–10, मुख्य शीर्ष 4801–बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय–उप मुख्य शीर्ष–05 संचरण तथा वितरण, लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना, उपशीर्ष–0101–बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 की परियोजना, विपत्र कोड–10–4801057890101 विषय शीर्ष 5401–निवेश के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

4. इस राशि की निकासी उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० के व्यक्तिगत लेखा खाता (पी०एल० खाता) के मुख्य शीर्ष 8448–स्थानीय निधियों की जमा, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–120–अन्य निधियाँ, उपशीर्ष–0044–बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं0 लि०, व्यय शीर्ष–L8448001200044 एवं प्राप्तियाँ–K–8448001200044 में जमा की जाएगी।

5. बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि० द्वारा राशि की निकासी कोषागार में खोले गए पी० एल० खाता संख्या PLA272 से की जाएगी।

6. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–3758 दिनांक–31.05.2017 के आलोक में योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है।

7. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–7355 दिनांक–05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

8. उक्त योजना की स्वीकृति हेतु मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन संचिका संख्या–प्र0/BSPTCL–07/2017 के पृष्ठ संख्या–8/टि0 पर दिनांक–07.11.2017 को प्राप्त है।

9. राज्यादेश पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–प्र0/BSPTCL–07/2017 पृष्ठ संख्या–21/टि0 पर दिनांक–03/05/2019 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(प्रत्यय अमृत)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–प्र0/BSPTCL–07/2017 /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः–महालेखाकार(लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–प्र0/BSPTCL–07/2017 1165 /पटना, दिनांक– 17/05/19

प्रतिलिपिः–वित्त विभाग, बजट शाखा/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना/लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना/अध्यक्ष–सह–प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0/प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड/उप महाप्रबंधक(वित्त एवं लेखा), बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड/आई0टी0 मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।